# राजस्थान सरकार
# गृह (ग्रुप–1) विभाग

क्रमांक–प. 5(13)गृह–1/2013

जयपुर, दिनांक : 17.06.2021

## आदेश

राजस्थान पुलिस सेवा की चयन वेतन श्रृखला की वर्ष 2013–14 की दिनांक 13.08.2013 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक के समय श्री लोकेश सोनवाल (एससी) के विरूद्ध एसीबी प्रकरण संख्या 4/13 विचाराधीन, इनके निलम्बित होने एवं विभागीय जांच अन्तर्गत नियम 16 सीसीए में विचाराधीन होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा इनकी पदोन्नति अभिशंषा सील्ड कवर में रखी गई। सलेक्शन स्केल की रिक्ति दिनांक 01.04.2013 की स्थिति में इनके विरूद्ध कोई विभागीय जांच/आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं होने तथा निलम्बन से बहाल होने एवं इनके विरूद्ध विचाराधीन विभागीय जांच में दोषमुक्त होने के फलस्वरूप राजस्थान पुलिस सेवा की चयन वेतन श्रृंखला पद की वर्ष 2013–14 की दिनांक 13.08.2013 को आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के बन्द लिफाफे को खोला गया।

विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के अनुसार श्री लोकेश सोनवाल, (एससी) को राजस्थान पुलिस सेवा की चयन वेतन श्रृंखला के पद पर वर्ष 2013–14 की दिनांक 01.04.2013 की रिक्ति के प्रति एतदद्वारा पदोन्नत किया जाता है। इनकी वरिष्ठता श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, (एससी) के नीचे एवं श्री गणपति महावर, (एससी) के ऊपर निर्धारित की जाती है।

यह पदोन्नति माननीय न्यायालयों में लम्बित समस्त प्रकरणों के अन्तिम निर्णय के अध्यधीन है। श्री लोकेश सोनवाल, आरपीएस अग्रिम आदेशों तक अपने वर्तमान पद पर यथावत कार्य करते रहेंगे।

श्री सोनवाल को रिक्ति दिनांक 01.04.2013 से कार्यग्रहण की दिनांक तक नोशनल आधार पर एवं कार्यग्रहण तिथि से वास्तविक रूप से वेतन लाभ देय होगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

प्रतिलिपि :–निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयुपर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव, गृह।
3. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
4. संबंधित अधिकारी मार्फत महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

17/6/2021

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस

Scanned with CamScanner